

## कोरोना से बचाव हेतु मा० मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह जी चौहान द्वारा सामाजिक संस्थाओं से किये सीधे संवाद को देखा व सुना

रतलाम 06 अप्रैल । कोरोना महामारी की रोकथाम में समाज की भागीदारी सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान 06 अप्रैल मंगलवार को जिले की विभिन्न सामाजिक संस्थाओं से एन.आई.सी. की विडियो कान्फ्रेसिंग के साथ किये गये सीधे संवाद को नगर निगम सभाग्रह में एलईडी वॉल स्क्रीन के माध्यम से देखा व सुना ।

इस अवसर पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया, उपायुक्त श्री विकास सोलंकी, कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यास, सहायक यंत्री श्री श्याम सोनी, उपयंत्री श्री राजेश पाटीदार सहित निगम के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे ।

## झायवर व हैल्पर गीला व सूखा कचरा पृथक—पृथक लेनिगम आयुक्त श्री झारिया ने दिये निर्देश

रतलाम 06 अप्रैल । रतलाम नगर को स्वच्छता में नम्बर 1 बनाने हेतु कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड के निर्देशानुसार निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा नगर के सभी 49 वार्डों को जीरो वेस्ट बनाया गया है जिसके तहत घर—घर से गीला एवं सुखा कचरा पृथक—पृथक लिया जा रहा है इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही ना हो इस हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के झायवर व हैल्परों मिटिंग लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिये ।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने झायवर व हैल्परों को बताया स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में नगर निगम रतलाम 5 स्टार रैंकिंग में सम्मिलित है इस हेतु नगर के शत—प्रतिशत घरों से गीला एवं सूखा कचरा पृथक—पृथक लिया जाना है इस हेतु कचरा संग्रहण वाहनों के साथ ऐग पिकर्स महिलाएँ अपना कार्य तो कर ही रही हैं साथ ही आप सभी का भी दायित्व है कि इस कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही ना हो व घर—घर से पृथक कचरा लिया जाना सुनिश्चित करें ।

घर—घर से पृथक—पृथक लिये गये गीले एवं सूखे कचरे को विनोबा नगर मुक्तिधाम के पास, पोलोग्राउण्ड, ईश्वर नगर, अमृत सागर तालाब व विरियाखेड़ी के सूखा कचरा पृथक्कीकरण केन्द्र पर ले जाया जाकर सूखा कचरा खाली किया जाये ताकि ऐग पिकर्स महिलाओं द्वारा सूखे कचरे का पृथक्कीकरण किया जाकर कबाड़ी को विक्रय किया जा सके । इसके अलावा कचरा संग्रहण वाहन के गीले कचरे को विनोबा नगर मुक्तिधाम व अमृत सागर तालाब के पास खड़े किये गये काम्पेक्टर में डाला जाये ताकि कचरा संग्रहण वाहनों को अनावश्यक जुलवानिया का चक्कर ना लगाना पड़े व समय की बचत भी हो साथ ही वजन में भी सुविधा हो सके । उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि विरियाखेड़ी कचरा पृथक्कीकरण केन्द्र पर आने वाले कचरा संग्रहण वाहन गीला कचरा जुलवानिया जाकर डालेंगे । उन्होंने कहा कि आप सभी के सहयोग से ही रतलाम नगर स्वच्छता में नम्बर 1 बन सकता है ।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने यह भी निर्देशित किया कि वे ड्यूटी के दौरान ड्रेस कोड में उपस्थित रहें अन्यथा संबंधित के वेतन काटने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जावेगी ।

इस अवसर पर उपायुक्त श्री विकास सोलंकी, कार्यपालन यंत्री श्री जी.के. जायसवाल, स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह, उपयंत्री श्री ब्रजेश कुशवाह, झोन प्रभारी श्री किरण चौहान, उद्यान पर्यवेक्षक श्री धर्मन्द्र दोगाया सहित कचरा संग्रहण वाहन के झायवर उपस्थित थे ।

## कोरोना से बचाव के लिए नगर निगम का बड़ा प्रयास आज

**शहर के हर कोने में एक हजार एक रांगोली से माध्यम से लोगों को कोरोना गाईड लाईन का पालन करने की अपील की जाकर माँस्क का वितरण होगा**

रतलाम 06 अप्रैल । कलेक्टर और निगम प्रशासक गोपालचंद डाड और निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशन में कोविड महामारी की दूसरी लहर के दौरान आमजन को संक्रमण से बचाने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आगामी 7 अप्रैल बुधवार को शहर के अनेकों इलाकों में एक हजार एक रांगोली का निर्माण कर कोविड गाईड लाईन के माध्यम से नागरिकों को जागरूक किया जाकर माँस्क वितरण कर नागरिकों को सही ढंग से माँस्क पहनने का तरीका भी समझाया जाएगा ।

आयुक्त सोमनाथ झारिया ने बताया कि कोविड महामारी की इस घड़ी में मास्क का उपयोग, दो गज की दूरी और हाथों को सैनेटाईज करने की प्रक्रिया हमें इस वायरस से बचा सकने में सहायक है ।

मास्क न केवल लोगों को कोरोना के संक्रमण से बचाव करने में मदद करेगा बल्कि इसके जरिए आप मौसम में होने वाली और भी कई एलर्जी से छुटकारा पा सकते हैं। गर्भियों का मौसम लगभग शुरू हो गया है। ऐसे में धूल मिट्टी के कारण अक्सर लोगों को त्वचा से संबंधित परेशानियां हो जाती हैं।

श्री झारिया ने नागरिकों से आव्हान किया है कि मास्क पहनने से आप केवल कोरोना वायरस के संक्रमण से बल्कि खुद को और भी कई बिमारियों से बचा पाने में सक्षम रहेंगे। इसलिए कोशिश करें की अच्छी क्वालिटी का मास्क पहने अगर आप स्वस्थ हैं तब भी मास्क का इस्तेमाल करें। जो आपको और अपके आसपास के सभी लोगों को सुरक्षित रखने में मदद करेगा।

उन्होंने नागरिकों से आव्हान किया है कि बुधवार को नगर निगम 1001 रांगोली का निर्माण कर लोगों को कोविड से बचाव का संदेश दे रहा है ऐसे में नागरिक अपनी घरों-दुकानों के बाहर एक रांगोली के माध्यम से शहवासियों को कोविड बचाओं का संदेश दे।

**पॉलीथीन का उपयोग करने व गंदगी करने पर 3 व्यक्तियों पर जुर्माना**

**50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन उपयोग प्रतिबंधित**

**मास्क नहीं लगाने वाले 18 व्यक्तियों पर किया जुर्माना**

रतलाम 06 अप्रैल। शासन निर्देशानुसार नगरीय क्षेत्र रतलाम में 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व प्लास्टिक उपयोग प्रतिबंधित किये जाने के तहत कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है।

50 माईक्रॉन की पॉलीथीन का उपयोग करने व गंदगी करने पर बलराम चांदनी चौक व रामजी त्रिपोलिया गेट पर 500-500, पुष्पेन्द्र चांदनी चौक पर 250 रुपये का जुर्माना किया गया साथ ही नगर के विभिन्न क्षेत्रों में बगैर मास्क वाले 18 व्यक्तियों पर 100-100 रुपये का जुर्माना किया गया।

जुर्माने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह, झोन प्रभारी श्री किरण चौहान व श्री पर्वत हाड़े, उप स्वच्छता निरीक्षक श्री विराट मेहरा के अलावा मनोज टांक, पवन झांझोट, आकाश शिंदे, राकेश ललावत व मनोज झांझोट आदि के द्वारा की गई। गंदगी व मलबा फैलाने, अतिक्रमण करने पर संबंधितों के विरुद्ध जुर्माना किये जाने का अभियान निरंतर जारी रहेगा।

**निगम अधिकारी एवं कर्मचारी कोरोना का**

## दुसरा टीका अनिवार्य रूप से लगवायें

रतलाम 06 अप्रैल। नगर निगम के अधिकांश अधिकारी एवं कर्मचारियों ने कोरोना का दुसरा टीका लगवा लिया है किन्तु कुछ अधिकारी एवं कर्मचारी दुसरे चरण के टीके से वंचित हैं वे अपनी व अपनों की सुरक्षा हेतु अनिवार्य रूप से टीका लगवायें।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि कोरोना जैसी महामारी से आप सभी सुरक्षित रहे यह शासन एवं नगर निगम का उद्देश्य है। टीकाकरण से शेष रहे अधिकारी एवं कर्मचारी जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित टीकाकरण केन्द्र पर उपस्थित होकर अनिवार्य रूप से टीका लगवायें। ऐसे अधिकारी एवं कर्मचारी जो कि टीकाकरण में रुचि नहीं दिखा रहे हैं उनके विरुद्ध नगर निगम द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

## नागरिकों के सहयोग से स्वच्छता में रतलाम नगर बनेगा नम्बर 1

नगर के सभी 49 जीरो वेस्ट वार्ड में घर-घर से किया जा रहा है कचरा एकत्रीकरण

रतलाम 06 अप्रैल। कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार रतलाम नगर के सभी 49 वार्डों को जीरो वेस्ट वार्ड बनाया जा चुका है जिसके तहत स्व सहायता समूह की रैग पिकर्स महिलाओं को शहर में ही रोजगार मिलने के साथ ही सूखे कचरे का निष्पादन भी किया जा रहा है इस कार्य में रतलाम नगर के नागरिक भी जागरूक हो चुके हैं नागरिकों के सहयोग से ही रतलाम नगर स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में नम्बर 1 बनेगा।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि नगर के सभी 49 वार्डों को जीरो वेस्ट वार्ड बनाये जाने से वार्डों की सड़कों, गलियों एवं नालियों में कचरे की मात्रा कम हुई है नागरिक भी प्रातः अपने घरों, दुकानों से निकलने वाले कचरे का स्वयं गीले एवं सूखे कचरे पृथक्कीकरण कर कचरा संग्रहण वाहन में डाला जा रहा है इस कार्य में रैग पिकर्स महिलाओं द्वारा भी पुरा सहयोग किया जा रहा है। निगम कचरा संग्रहण वाहन के सूखे कचरे को एक स्थान पर खाली किया जाकर रैग पिकर्स महिलाओं द्वारा पुस्टा, अखबार, लोहा, कपड़ा, शाल, कांच, पैकिंग मटेरियल, टुटे खिलौने, प्लास्टिक आदि को पृथक कर कबाड़ी को बेचा जा रहा है जिसका कबाड़ी द्वारा रजिस्टर भी संधारित किया जा रहा है।

वार्डों में कचरा संग्रहण वाहन के साथ दुर्गा व ईश्वर स्व सहायता समूह रैग पिकर्स महिला, आई.ई.सी. टीम के सदस्य, वार्ड पर्यवेक्षक, दरोगा, इंजीनियर आदि ने वार्ड के 100 प्रतिशत घरों पर जाकर नागरिकों से गीला एवं सूखा कचरा पृथक-पृथक प्राप्त कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक वाहनों में डाला। संग्रहित किये गये सूखे कचरे को एक स्थान पर खाली कर समूह की महिलाओं द्वारा कचरे की छंटती कर एकत्रित किया गया। नागरिकों से अपील जाती है कि वे अपने घरों एवं दुकानों से निकलने वाले गीले एवं सूखे कचरे को पृथक-पृथक कचरा पात्रों में एकत्रित कर अपने घर के बाहर रख दें निगम द्वारा उसे कचरा संग्रहण वाहन में पृथक-पृथक डाला जायेगा।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने बताया कि स्व सहायता समूहों की रैग पिकर्स महिलाएं अपना एवं अपने परिवार का जीवन यापन करने के लिये अपने बच्चों के साथ जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर सूखे कचरे से प्लास्टिक, रबर, बॉटल व अन्य सामग्री अलग-अलग करके कबाड़ी को विक्रय कर नारकीय जीवन व्यतीत कर रही थी। जीरो वेस्ट वार्ड बनाने के तहत अब जुलवानिया की रैग पिकर्स महिलाओं को वार्ड में ही काम मिलने लगा है व इनकी सुरक्षा के लिये निगम द्वारा एप्रीन, ग्लबस, मास्क आदि उपलब्ध कराये गये हैं। इन्हें वार्ड में ही कार्य मिलने से इनके जीवन स्तर में सुधार होगा।

गंदगी का मुख्य कारण है पॉलीथीन इसलिये 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन को पूर्णतः बंद किया जाना है इस हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने सभी वार्ड पर्यवेक्षक, दरोगा, स्पॉट फाईन दल यह निगरानी रखें कि इसका भण्डारण कहां होता है व विक्रय कौन

कौन करता है सही जानकारी प्राप्त होने पर संबंधित की पॉलीथीन जब्त की जाकर फुटकर व्यवसायियों पर 50 व दुकानदारों पर 5000 का स्पॉट फाईन किया जाये।

## **पॉलीथीन व डिस्पोजल आयटम चरणबद्ध तरीके से होगा प्रतिबंधित**

रत्नाम 06 अप्रैल । गंदगी का मुख्य कारण प्लास्टिक होने से शासन द्वारा पॉलीथीन बैग व डिस्पोजेबल आयटमों को प्रतिबंधित किया गया है। नगरीय क्षेत्र रत्नाम में पॉलीथीन बैग व डिस्पोजेबल आयटमों पर चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंध लगाये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बैठक में निगम अधिकारियों को निर्देशित किया।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने बैठक में निर्देशित किया कि 50 मार्ईक्रॉन से कम मोटाई की हैण्डल सहीत व हैण्डल रहीत पॉलीथीन को पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाना है इस हेतु व्यापक प्रचार प्रसार किया जाये साथ ही प्लास्टिक व थर्मोकॉल के डिपोजेबल आयटमों को भी प्रतिबंधित किया जाना है।

नागरिक व दुकानदार पॉलीथीन बैग के स्थान पर कपड़े की थैली, नारियल या जूट की थैली का उपयोग करें, प्लास्टिक व थर्मोकॉल से निर्मित कप, ग्लास, कटोरी, चम्मच, कन्टेनर, स्ट्रॉ आदि के स्थान पर पेपर स्ट्रॉ, पेपर प्लेट, दोने पत्तल, पत्तो से निर्मित बाउल, केले के तने तथा नारियल के पत्तों से निर्मित प्लेट एवं बाउल, मिट्टी के कुल्लहड़ आदि का उपयोग खाद्य एवं पेय पदार्थों के लिये करें इस हेतु प्रेरित किया जाये।

बैठक में निगम आयुक्त श्री झारिया ने पॉलीथीन व डिस्पोजेबल आयटमों के विक्रय, भण्डारण तथा उपयोग पाये जाने पर जब्ती व अर्थदण्ड की कार्यवाही किये जाने के निर्देश संबंधित को दिये।

## **खुले में गंदगी करने व पॉलीथीन का विक्रय व उपयोग करने वालों की सूचना स्पॉट फाईन दल को दें**

रत्नाम 06 अप्रैल । नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो कि खुले में, नाले-नालियों में कचरा डालते हैं व 50 मार्ईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का विक्रय, उपयोग व भण्डारण करते हैं उन पर जुर्माना किये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने दल का गठन कर स्पॉट फाईन हेतु वाहन भी उपलब्ध कराया है।

गठित दल में विराट मेहरा, उप स्वच्छता पर्यवेक्षक मो.नं. 9770326691 को दल प्रभारी नियुक्त किया है इसके अलावा मनोज टांक मो.नं. 7000848456, पवन झांझोट मो.नं. 7000128812, आकाश शिंदे मो.नं. 9424075393, मनोज झांझोट मो.नं. 6268449110, राकेश ललावत मो.नं. 7000128812 दल प्रभारी के साथ रहकर नगर में नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो कि खुले में, नाले-नालियों में कचरा डालते हैं व 50 मार्ईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का विक्रय, उपयोग व भण्डारण करते हैं उन पर जुर्माना करेंगे व जो दुकानदार जुर्माने के बाद भी निरंतर गंदगी करते हैं उनकी दुकाने सील करने की कार्यवाही करेंगे।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की जाती है कि शहर को गंदा करने वाले नागरिकों, दुकानदारों आदि की जानकारी उक्त मोबाईल नम्बरों पर देकर नगर को साफ-स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें।

**वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विलद्ध होगी कार्यवाही**

रतलाम 06 अप्रैल । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है, जिसके तहत वार्डों की सड़क, गली, सार्वजनिक स्थल, नाले-नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डों में गंदगी, कचरे के ढेर, नाले-नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डों की समुचित साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निष्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डों में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

## **गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण की दी समझाईश स्वच्छता के लिये नागरिक दे रहे हैं फीडबैक**

रतलाम 06 अप्रैल । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ ज्ञारिया द्वारा दिये गये निर्देशानुसार नगर के समस्त घरों, दुकानों आदि से 100 प्रतिशत गीला एवं सूखे कचरा पृथक-पृथक संग्रहित किये जाने हेतु नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम आस्था के सदस्यों द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को स्वच्छता बनाये रखने गीला व सूखे कचरा पृथक-पृथक रखने की समझाईश दी जा रही है।

नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम डिवाईन के सदस्यों द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण हेतु घरों एवं दुकानों में पृथक-पृथक कचरा पात्र रखकर पृथक-पृथक कचरा एकत्रिकरण व गीले एवं सूखे कचरे को निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालने की समझाईश दी साथ ही नागरिकों से स्वच्छता हेतु स्वच्छता एप पर सिटीजन फीडबैक लिया।

## **सफाई संबंधी शिकायत दर्ज कराने हेतु नागरिक स्वच्छता एप का उपयोग करें**

रतलाम 06 अप्रैल । रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने हेतु कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड, निगम आयुक्त श्री सोमनाथ ज्ञारिया के निर्देशानुसार स्वच्छ भारत मिशन के तहत सफाई संबंधी शिकायत दर्ज कराने के लिये भारत सरकार द्वारा तैयार किये गये स्वच्छता एप की जानकारी निगमकर्मियों व नगर निगम की सहयोगी संस्था आस्था के सदस्यों ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नागरिकों को दी।

स्वच्छ भारत मिशन के तहत किये जा रहे स्वच्छता सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने के लिये रतलाम नगर के नागरिक सफाई संबंधी शिकायत स्वच्छता एप दर्ज कराने के लिये अपने एन्ड्रोयड मोबाईल पर गूगल प्ले स्टोर में जाकर स्वच्छता एप टाईप करें, उसके पश्चात एप को इन्स्टाल करें। इन्स्टाल करने के बाद एप्लीकेशन ओपन करके अपना मोबाईल नम्बर रजिस्टर्ड करें। इसके बाद अपना जीपीएस ॲन करें इसके बाद आपकी सफाई संबंधी शिकायत का फोटो लेकर अपलोड करें। अपलोड की गई शिकायत नगर निगम के पास आयेगी और उसका तत्काल निराकरण किया जायेगा।

## **कचरा पृथक्कीकरण हेतु नागरिक एवं दुकानदारों को रखना होंगे 4 डस्टबीन**

खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालों पर सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी अतिक्रमण व गंदगी करने पर होगा जुर्माना

रतलाम 06 अप्रैल । नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार एवं नागरिक जो कि अपनी दुकानों एवं घरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत कचरा पृथक्कीकरण हेतु 4 डस्टबीन नहीं रख रहे हैं व दुकानों के सामने गंदगी व अतिक्रमण कर रहे उन पर निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार अपनी दुकानों में गीले कचरे अर्थात् कीचन में बनी हुई खाद्य सामग्री, फल—सब्जी के छिलके, घांस व पेड़ की पत्तियां, राख, चाय पत्ती, बचा हुआ खाना आदि के लिये हरा डस्टबीन, सूखा कचरा अर्थात् पुस्टा, अखबार, लोहा, कपड़ा, शाल, कांच, पैकिंग मटेरियल, टुटे खिलौने, प्लास्टिक आदि के लिये नीला डस्टबीन, घरेलू हानिकार कचरे के लिये पेन्ट के डिब्बे, पेस्टीसाइड के डिब्बे, सीएफएल, ट्र्यूबलाईट, थर्मामीटर, बैटरी आदि के लिये काला डस्टबीन तथा मेडिकल वेस्ट अर्थात् सेनेटरी नेपकीन, डायपर, सुई, सिंरिज, मास्क, ग्लब्स, पीपीई कीट आदि के लिये पीला डस्टबीन रखकर अपने घरों एवं दुकानों तथा प्रतिष्ठानों में ही कचरे का पृथक्कीकरण कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक—पृथक भागों में डालकर कचरा पृथक्कीकरण कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। जो नागरिक या दुकानदार उक्तानुसार कचरे का पृथक्कीकरण नहीं करेगा व खुले में कचरा डालने वालों उन पर जुर्माने की कार्यवाही की जावेगी।

नागरिक एवं दुकानदार खुले में कचरा डालेंगे तो उन पर भी नगर निगम अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी। नगर के विभिन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालों पर कन्ट्रोल रूम पर निगरानी रखी जा रही है। नगर निगम की टीम संबंधित के घर एवं दुकानों पर जाकर 5000—5000 हजार का जुर्माना करेगी।

समाचार / ज.सं.वि. / हेमन्त / 06.04.2021 / न.पा.निगम, रतलाम.